वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2006

क्र. एफ-30-4-2002-दस-3.—मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन् 1984) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को आतेष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगरपालिक निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी के क्षेत्रों को छोड़कर आरक्षित या संरक्षित वन की सीमा के बाहर 20 किलोमीटर रेडियस के भीतर के क्षेत्रों को, इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 3 वर्ष की कालावधि हेतु उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है और बालाघाट जिले के किरनापुर, हिर्री, खैरलांजी, लांजी, दल्हापुर, लालबर्रा, मानपुर, अमलाझरी एवं कोसमी को प्रतिषिद्ध क्षेत्र से मुक्त घोषित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2006

क्र. एफ-30-4-2002-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-30-4-2002-दस-3, दिनांक 8 अगस्त 2006 के अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रतन पुरवार, सचिव.

Bhopal, the 8th August 2006

No.F-30-4-2002-X-3.—In exercise of the power conferred by the sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Kasth Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984) and in supersession of all previous Notification issued on this subject, the State Government hereby declare the areas within 20 kilometer radius outside the boundary of the reserved or protected forest except the areas of Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayat and Special area development authority to be prohibited area for the purposes of the said Act for the period of 3 years with effect from the date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazettee and declare Kirnapur, Hirri, Khairlanghi, Langhi, Dalhapur, Lalbarra, Manpur, Amlajharri and Kosmi of District Balaghat to be free from prohibited area.

By order and in the Name of The Governor of
Madhya Pradesh,
RATAN PURWAR, Secy.

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2006

क्र. एफ-3-5-2005-दस-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा के निम्नांकित वन संरक्षकों को मुख्य वन संरक्षक के वेतनमान 18,400-500-22,400 में पदोन्नत करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर पदस्थ करता है:—

अ.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री खगेश्वर नायक, (भावसे-1981)	वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान.	मुख्य वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान.
2	डॉ. ए. के. सिंह (भावसे-1982)	वन संरक्षक/सदस्य सचिव, जैव विवधिता बोर्ड, भोपाल. (सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर जैव विवधिता विभाग के पास है).	मुख्य वन संरक्षक/सदस्य सचिव, जैव विवधिता बोर्ड, भोपाल (सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर जैव विवधिता विभाग के पास यथावत रखते हुए).

3. —राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री ए. के. सिंह, (भावसे-1981) मुख्य वन संरक्षक, राज्य वन अनुसंस्थान संस्थान, जबलपुर, की सेवाएं राज्य वन अनुसंस्थान संस्थान, जबलपुर से वापस लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से मुख्य वन संरक्षक (विकास), प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, भोपाल के पद पर पदस्थ करता है.

11. श्री शीतल चंद जैन, अनिल मेडिकल ऐजेंसी, राघोगढ़, जिला गुना.

भेषजी अधिनियम (फार्मेसी एक्ट) 1948 की धारा 19 के खण्ड 'सी' 'डी' 'डीडी' तथा 'इ' के अधीन पदेन सदस्य

12. संचालक चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.

13. संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल.

14. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल.

15. शासकीय विश्लेषक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल.

भेषजी अधिनियम (फार्मेसी एक्ट), 1948 की धारा 26 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री एम. के. वर्मा, संयुक्त कलेक्टर को दिनांक 20 जुलाई 2006 से मध्यप्रदेश भेषजी परिषद् (फार्मेसी कौन्सिल) के रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रश्मि अरुण शमी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2006

क्र. एफ-20-15-2006-सत्रह-मेडी-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुशरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-20-15-2006-सत्रह-मेडि-एक, दिनांक 8 अगस्त 2006 के अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रश्मि अरुण शमी, उपसचिव.

Bhopal, the 8th August 2006

No.20-15-2006-XVII-M-I.—In exercise of the power conferred by the Section 23 of Pharmacy Act, 1948 the State Government herby conferred Shri Basant Gupta, Center Medico Shop No. 70 Vijay Market, Barkheda, Bhopal as president and Shri Subhash Gulati, 125, Saket Nagar, Indore as Vice President of Madhya Pradesh Pharmacy Council w.e.f. 7th July 2006.

As per Section 27 of the Pharmacy Act, 1948, Shri Gautamchand Dhing, 71 Ravishankar Nagar, Ujjain, Shri Om Prakesh Jain, Chetakpuri Jaura Road Gwalior, Shri Ashok Kumar Jain, Ashok Medico Gaur Mruthi Katra Bazar, Sagar as executive elected members of Madhya Pradesh Pharmacy Council w. e. f. 7th July 2006.

Members elected under clause (a) of Section 19 of the Pharmacy Act, 1948

1. Shri Gautamchand Dhing, 71 Ravishankar Nagar, Ujjain.
2. Shri Subhash Gulati, 125 Saketet Nagar, Indore.
3. Shri Om Prakesh Jain, Chetakpuri Jaura Road Gwalior.
4. Shri Ashok Kumar Jain, Ashok Medico Gaur Mruthi Katra Bazar, Sagar
5. Shri Dev Kumar Badjatya, 1/3, Malhar Ganj, Indore.
6. Shri Sachin Shetal, B-3, Chandrika Vihar, Napier Town, Jabalpur.

Members nominated under clause (b) of Section 19 of the Pharmacy Act, 1948

7. Dr. B. K. Jain Professor of Pharmacology. M. G. M. Medical Colloge, Indore,
8. Shri Basant Gupta, Center Medico Shop No. 70 Vijay Market, Barkheda, Bhopal.
9. Shri Ram Kumar Maheshwari, Nand Medical Store, Nalkheda, Shajapur.
10. Shri Ashok Kumar Choudhary, Deepchand & Sons, Gaurmurthi, Sagar.
11. Shri Sheetal Chandra Jain, Anil Medical Agency, Raghogarh, Guna.

Members elected by Medical Council under clause (c) (d) (dd) & (e) of Section 19 of the Pharmacy Act, 1948

12. Director, Health Services, M. P., Bhopal.
13. Director Public Health & Family Welfare, Bhopal.
14. Controller, Food & Drugs Administration, M. P. Bhopal.
15. Government Analyst Food & Drugs Administration M. P. Bhopal.

In exercise of the power conferred by the proviso to Section 26 of the Pharmacy Act, 1948 the State Government hereby appoint Shri M. K. Verma, Joint Collector, as Registrar of the Madhya Pradesh Pharmacy Council with effect from 20th July 2006.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RASHMI ARUN SHAMI, Dy. Secy.